1.5

प्रपत्र–11

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में सोलिया बजानी–मैजुलिया मोटर मार्ग का निर्माण ।

परियोजना का औचित्य

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 803 / 2014 के अन्तर्गत राज्य योजना में शासनादेश संख्या 2724 / 111(2) / 15–05(प्रा0आ0) / 2015 दिनांक 24.04.2015 द्वारा जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र, बागेश्वर में गड़खेत मोटर मार्ग के स्थान सोलिया बजानी से मैजुलिया तक मोटर मार्ग 5.00 कि0मी0 लम्बाई एवं 1 पुल हेतु रू0 94.75 लाख की (प्रथम चरण–यथा सर्वेक्षण, वनभूमि की स्वीकृति आदि कार्यों हेतु) प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। भारत सरकार से वन भूमि स्वीकृति उपरान्त राज्य सरकार द्वारा मोटर मार्ग निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत की जायेगी।

विधान सभा बागेश्वर का गड़खेत क्षेत्र यातायात की दृष्टि से काफी पिछड़ा है। वन क्षेत्र के मध्य में स्थित ग्राम सोलिया बजानी एवं तोक मैजुलिया (जनसंख्या (131) अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़े हैं जिन्हें परिवहन एवं यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु यह मोटर मार्ग स्वीकृत किया गया हैं। पूर्व में वन विभाग द्वारा वानिकी कार्य हेतु जिन्तोली से गड़खेत तक 10 कि0मी0 मोटर मार्ग का निर्माण किया गया था। राज्य सरकार द्वारा पुनः निर्माण एवं सुधार हेतु उक्त मार्ग लो0नि0वि0 के अधीन स्वीकृत किया गया जिस पर भारत सरकार के पत्रांक 8बी / यू.सी.पी. / 06 / 18 / 2001 / एफ्.सी. / 2845 दिनांक 18.01.2006 द्वारा 9.234 है0 वन भूमि की विधिवत स्वीकृति एवं शा0संख्या जी.आई.–1042 / 7–1– 2006 / 600 (983) / 2005 दिनांक 07.03.2006 द्वारा भूमि हस्तान्तरण आदेश उपरान्त निर्माण कार्य प्रगति में है। अब स्वीकृत मोटर मार्ग इसी मोटर मार्ग का विस्तार है और गड़खेत नामक स्थान से सोलिया बजानी होते हुए मैजुलिया तक इस मार्ग की वास्तविक लम्बाई 3.200 कि.मी. आती है।

वन क्षेत्र के निकट का ग्राम होने एवं यातायात की सुविधा के अभाव में स्थानीय जनता अपने दैनिक उपयोग के लिए वनों पर आश्रित रहती है जिस कारण प्रतिवर्ष काफी संख्या में वृक्षों का पातन होता हैं। इस मोटर मार्ग का निर्माण हो जाने से स्थानीय जनता को परिवहन एवं यातायात की सुविधा के साथ ही गैस प्राप्त करने में सुविधा होगी जिससे जंगलों को बचाने में भी मदद मिलेगी। इस क्षेत्र का शिक्षा एवं व्यापार का मुख्य केन्द्र गड़खेत है। मोटर मार्ग निर्माण होने से बच्चों को विध्यालय आने जाने में सुविधा होगी जिससे बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा। मोटर मार्ग निर्माण हेतु न्यूनतम आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 7 मीटर चौड़ाई में ही भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावित किया गया है जिसमें अवशेष मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थलों को सम्मिलित करते हुए कुल 2.148 है0 वन भूमि एवं विभिन्न व्यास के कुल 153 चीड़ वृक्ष प्रभावित हो रहे है,। यह क्षेत्र चीड़ बाहूल्य क्षेत्र है जिसमें प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में चीड़ के वृक्ष प्राकृतिक रूप से उगते है। मोटर मार्ग निर्माण उपरान्त 5 वर्ष के अन्दर स्वतः ही उगने की वजह से काटे जाने वाले वृक्षों की क्षतिपूर्ति हो जायेगी। उल्लेखनीय है कि जनपद बागेश्वर में लगभग 71 प्रतिशत भू–भाग वनाछादित है। जनहित में बुनियादी ढांचे के विकास, पर्यटन को बढ़ावा देने, वनों की सुरक्षा, पहाड़ी क्षेत्र से पलायन रोकने, आपदा के समय प्रभावितों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराने एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन हेतु वन भूमि के उपयोग के अलावा और कोई विकल्प नहीं हैं। अतः उपरोक्त कारणों से इस मोटर मार्ग का निर्माण वन भूमि में प्रस्तावित किया गया है जो अपरिहार्य एवं औचित्यपूर्ण है।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर